

## —:: आवश्यक सूचना ::—

समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि बिल टोकन करवाने हेतु कोषालय की टोकन खिड़की पर अपरान्ह 01:00 बजे तक बिल प्रस्तुत करें एवं आक्षेप के बिल टोकन खिड़की से ही प्राप्त करें।

आक्षेपित बिलों को बिना टोकन डिस्पेच के ही व टोकन खिड़की से प्राप्त नहीं कर आक्षेप रजिस्टर से बिल निकाल कर ले जाने पर बिल डी.डी.ओ. लॉगिन के रिवर्ट पर दर्शित नहीं होंगे। अतः आक्षेपित बिल टोकन खिड़की से ही प्राप्त कर व्यवस्था सुचारु बनावें।

बिल कोषालय से आब्जेक्शन लगकर डिस्पेच होते ही डी.डी.ओ. के बिल रिवर्ट पर दर्शित होता है, किन्तु डी.डी.ओ. लॉगिन में रिवर्ट साईट पर बिल दिखने पर उसे रिवर्ट करना आवश्यक नहीं है, यदि बिल में गणितीय अशुद्धता या कोई परिवर्तन है तो ही रिवर्ट करें व परिवर्तन करके पुनः प्रोसेस कर ट्रेजरी फारवर्ड करें। मात्र प्रमाण पत्र या सैद्धांतिक त्रुटियों हेतु बिल रिवर्ट न करें व आक्षेप पूर्ति कर बिल वापस टोकन विण्डो पर प्रस्तुत करें।

आज्ञा से  
कोषाधिकारी,कोटा